

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1981 (चैत 5, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 [1] के अधीन ध्यानार्थण

- (1) सर्वश्री आरिफ अकील / ललित जैन / कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर के विजयनगर एक्सटेंशन इलाके में हुई डकैती की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री गोपाल भार्गव / श्री कैलाश विजयवर्गीय / श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम कुमरई निवासी आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) डा. सीतासरन शर्मा / श्री शैलेन्द्र प्रधान / श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल में आई.सी.एम.आर. सस्था द्वारा संचालित चिकित्सालयों को बंद किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम धिवावली निवासी हरिजन परिवारों के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, दर्ग जिले के स्थापित डिस्ट्रिक्टरी के प्रदूषण से बीमारियाँ फैलने की ओर राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के महेवा निवासी एक व्यक्ति की ड्रेक्टर से कुचलने से हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (7) सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम / सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के पचोर में हुई डकैती की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (8) श्री उदयप्रकाश मिश्र, सदस्य, नीमच के खेड़ा-राठोर ग्राम में विक्रम सिंहेट फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) सर्वश्री लालसिंह राणावत / महेश तिवारी, सदस्य, नागदा स्थित भारत कार्मस इन्डस्ट्री में ताला बन्दी से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) श्री मनोहरलाल राठोर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम पानतलाई में नहरों के पानी के रिसन से मकानों को हो रही क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम ढाय में हुई लूट की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) सर्वश्री मोतीलाल वोरा / सत्यनारायण शर्मा / भागचन्द्र सोगानी, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम गणेशखेड़ा में एक हरिजन महिला के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (13) श्री के.डी.देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले के दक्षिण वन मण्डल द्वारा निस्तार डिपो में पर्याप्त बांस-बलसी न भेजने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (14) श्री राम प्रताप सिंह, सदस्य, प्रदेश में मानव अंगों का अवैध व्यापार होने की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (15) श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य, सिवनी के जिला चिकित्सालय के अधिकारियों की लापरवाही से दबाएं खराब होने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान अकर्धित करेंगी।
- (16) श्री ललित जैन, सदस्य, इंदौर तथा महू कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों द्वारा कृषकों से क्रय की गई फसल का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान अकर्धित करेंगे।
- (17) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के गैस पीड़ितों के इलाज के लिये मंगाये गये उपकरणों का उपयोग न हो पाने की ओर गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान अकर्धित करेंगे।

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अनूपसिंह मरावी, सभापति, आश्वासन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नारथन सिंह, सदस्य -

- (क) जिला सतना के ग्राम झुकेही में नलजल प्रदाय योजना प्रारंभ कराये जाने,
- (ख) ग्राम गोवरी में पशु औषधालय खोले जाने,
- (ग) ग्राम डेलहा से करईया मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम जरियारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन का विस्तार करने के संबंध में,

(2) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य -

- (क) जिला छतरपुर के ग्राम सिमरिया से सोरखी तक के अधूरे मार्ग को पूर्ण कराये जाने, तथा

- (ख) ग्राम सिमरिया में सिंचाई पम्प हेतु विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के संबंध में,

(3) चौधरी मणिशंकर "सुमन", सदस्य -

- (क) जिला दमोह के ग्राम निवोरकला में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा

- (ख) ग्राम निवोरकलां में पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में,

(4) डॉ. ढालसिंह बिस्मेन, सदस्य - जिला सिवनी के ग्राम पंचायत मलारा के कृषकों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के संबंध में, याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. मंत्री परिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री श्यामाचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन श्री सुन्दरलाल पटवा के नेतृत्व में गठित मंत्री-परिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

भोपालः

दिनांक 25 मार्च, 1991

विश्वेन्द्र भेहता

सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा।